



(संशोधित मांग पत्र)

**कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता (शमन प्रकोष्ठ)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर**

पत्रांक : डी/347/अधि०अभि०/का०वि०प्रा०/2016-17

दिनांक : 23/11/16

सेवा में,

मेसर्स डिविनिटी होम्स प्रा०लि०

डायरेक्टर श्री विशाल गर्ग

नि०- 15/79 सिविल लाइन्स, कानपुर।

विषय : आराजी संख्या 1104, से 1107, 1110, से 1116, 1117 पार्ट, 1118 पार्ट, 1122 पार्ट व 1280 ग्राम बैरी अकबरपुर बोंगर कानपुर नगर के शमन मानचित्र के स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

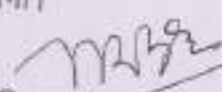
उपरोक्त विषयक आपके आवेदन के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19.11.16 को निम्नलिखित अंकित प्रतिबंधों / शर्तों एवं निम्नलिखित धनराशि प्राधिकरण में जमा कराने के शर्त के तहत प्रदान की गयी है :-

1. मानचित्र शुल्क	- रु०	4,14,000.00
2. निरीक्षण शुल्क	- रु०	1,40,760.00
3. सुदृढ़ीकरण शुल्क	- रु०	6,70,680.00
4. सेस शुल्क	- रु०	11,59,200.00
5. शमन शुल्क	- रु०	43,28,569.00
कुल योग	रु०	6713209.00

अतः उक्त धनराशि प्राधिकरण कोष में पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर जमाकर जमा धन की प्रमाणित रसीद एवं निम्नलिखित प्रतिबंधों को पूर्ण करते हुये अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रतिबंध-

1. रेनवाटर होवैस्टिंग एवं वृक्षारोपण की प्रस्तावना स्थल पर नियमानुसार करनी होगी।
2. पूर्व में प्राप्त करायी गयी नगर निगम, जलकल विभाग की एन०ओ०सी० में दर्शित क्षेत्रफल से अतिरिक्त क्षेत्रफल पर उपरोक्त विभागों की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।
3. अग्निशमन विभाग, केस्को, पर्यावरण विभाग की अनापत्ति एवं भवन की सुरक्षा हेतु स्ट्रक्चरल प्रमाणपत्र विस्तृत डिजाइन व ड्राइंग के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. भवन के निर्माण पूर्ण होने के पश्चात पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित किया जायेगा।
5. भू-स्वामित्व/भूमि याद-विवाद की समस्त जिम्मेवारी पक्ष की होगी।
6. उ०प्र० एपार्टमेंट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त प्रोफार्मा भरकर अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
7. प्रस्तावित गुप हाउसिंग के निर्माण हेतु आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति के तहत में ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० की प्रस्तावना आराजी सं० 438, 439, 441, 443, 446, 459 पार्ट ग्राम गंभीरपुर कछार पर 38-38 ई०डब्ल्यू०एस०/एल०आई०जी० बनाने हेतु प्रस्ताव मानचित्र नवन विभाग में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के तहत में ही शेल्टर फीस देय नहीं होगी अन्यथा की दशा में नियमानुसार शेल्टर फीस देय होगी। आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिये जारी शासनादेश के अनुपालन की दशा में ही मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
8. भविष्य में अगर किसी प्रकार की देयता बनती है तो पक्ष द्वारा देय होगी।


अधिशासी अभियन्ता
(शमन प्रकोष्ठ)



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
शाखा-भोलीधीन (1079)
कानपुर - 208 002

कानपुर विकास प्राधिकरण

आवेदक प्रति

A
I.D. No.,

चालू खाता नं० 10500637173

दिनांक 23/01/13

आवेदक का नाम श्री विशाल वर्मा अर्ज
जिला मंत्री, कानपुर जिला, पिन 208 002
कानपुर, उत्तर प्रदेश

मकान/प्लॉट संख्या 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114
1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124
किरावा क्रय पद्धति/स्वयं वित्त पोषित/नकद भुगतान 1280

विवरण	रु०	पन्नाशि	रु०
1. मूलभूत की किराया			
2. पवन की किराया			
3. सीन किराया			
4. मरी शौच			
5. दण्ड भान			
6. परीक्षण (मकान/प्लॉट)			
7. अग्निमार्ग शुल्क/सुरक्षा			
8. इलाका शुल्क			
योग	200	0000	00

रु० (शब्दों में) दो लाख मात्र
नकद/ड्राफ्ट संख्या 521328 दिनांक 23/01/13

निर्गत बैंक S.B.I. Industrial Estate Bank
आवेदक के हस्ताक्षर रोहड़िया उप प्रबन्धक (रोहड़)

Pay user charges for waste disposal
CLEEN KANPUR - GREEN KANPUR

शिवन पिपरा



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
शाखा-मोतीबाई (1078)
कानपुर - 208 002

कानपुर विकास प्राधिकरण

A

I.D. No.

आवेदक प्रति

खातु खाता नं० 10500637173

दिनांक 01-06-2012

आवेदक का नाम श्रीमती मोतीबाई शिवन पिपरा
पता 157 नं सिविल लाइन्स - कानपुर

घोषणा 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115
मकान/प्लॉट संख्या 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125
किराया क्रय पद्धति/स्वयं वित्त प्राप्ति/मकान मालिकता

विवरण	रु०	धनराशि	रु०
1. मकान सी-कित	21	मकान	21
2. मकान डी-कित	21	मकान	21
3. सी-कित	21	मकान	21
4. डी-कित	21	मकान	21
5. प्लॉट	21	मकान	21
6. प्लॉट (मकान/प्लॉट)	21	मकान	21
7. कनिष्ठ/मकान/प्लॉट	21	मकान	21
8. कनिष्ठ/मकान/प्लॉट	21	मकान	21
योग	21	मकान	21

धनराशि (रु० में) 21000000
मकान/प्लॉट संख्या 523701
निर्गत बैंक स्टेट बैंक कानपुर

दिनांक 01-06-2012

आवेदक का हस्ताक्षर रोमिका
उप प्रबन्धक (रोमिका)

Pay user charges for waste disposal
CLEAN KANPUR - GREEN KANPUR

34698

दिनांक 21-3-2017

Prop. ID No.

आज्ञात सं.

PAN No.

भौषाङ्गल नं.

पान नं.
३३१८५५

DIVINITY HOME (P) LTD

આવશ્યક હોય તો

15/79 B Civil Lines Kanpur

आलोचना का पता

11-7 11p+2 11p6 11p7 11p8 11p9

संज्ञना 194.8

[illegible]

आपने /संसाधन/ पर

STN. Albuquerque Rocky Mt. Kan. 1250

[illegible]

थ्री थ्री लैक् ट्वेंटी एट थौसंड
फाइव हंड्रेड सेक्सी ओली.

नकद/द्राव्य संख्या ०६९९०२ दिनांक २१-०३-२०१३

सिग्नल बैंक HDFC Bank.

मार्गदर्शक या सहायक

सत्य प्रबन्धक

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
PERMIT FORM

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR
UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

I.D. NO:- 290900911

Block Sector:- BAIRI AKBARPUR BANGAR

Plot/House NO:- 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, PART 1109(PART), 1123(PART) & 1280

Permit Date: 24/10/2011

Application Date:- 29/9/2011

Permit No: 526/BHAWAN/11-12

Area (Place) BAIRI AKBARPUR BANGAR

Land Usage:- GROUP HOUSING

Applicant's Name:- DIVINITY HOMES PVT. LTD.

Present Address:- INDRA NAGAR KANPUR

Sanction vide order dated: 19/10/2011 V.C. build granted as per sanctioned building Plan enclosed subject to the condition as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years the date of sanction for fresh map - one year in case of renewal.


Authorised Signatory

Copy to:- Officer incharge (Enforcement) alongwith sanctioned copy of MAP.

Authorised Signatory

Revise Vide D. Note: D/347/Adhi-Abhi/KVP/16-17 dt. 23-11-16
& D/501/Adhi-Abhi/KVP/16-17 dt. 31-3-17